प्रेस नोट दिनांक 08.09.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

◆थाना चकिया पुलिस ने 16.203 कि0ग्रा0 (16.387 कि.ग्रा. मय बोरी के) अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अपराध एवं अपराधियो पर नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तो के गिरफ्तारी व मादक पदार्थ के तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव के मार्गदशन में व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण मे थानाध्यक्ष चकिया द्वारा गठित टीम ने दिनांक 07.09.2024 को रविदास मंदिर के सामने चकिया अहरौरा रोड पर वहदग्राम मुडहुआ के पास से एक अर्टींगा वाहन से कुल 04 बंडल मे 16.203 कि0ग्रा0(16.387 कि0ग्राम मय बोरी) के साथ अभियुक्त1. संतोष कुमार सिंह पुत्र अनिरूद्ध सिंह निवासी ग्राम निवासी कुल्हनामऊ थाना बक्सा जनपद जौनपुर 2. अमित वर्मा पुत्र स्व. रामतेज वर्मा निवासी कौडियावा थाना कूढेभार जिला सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 07.09.2024 को प्रभारी थाना चकिया व उ0नि0 गंगाधर मौर्य मय हमराह संदिग्ध व्यक्ति व वाहनो की चेकिग व वांछित अभियुक्तो की तलाश हेतु भ्रमण पर पन्डी मोड़ वहद ग्राम मुढ़हुआ थाना चकिया जनपद चन्दौली मे मौजूद थे,कि कुछ समय पश्चात उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह चौकी इन्चार्ज शिकारगंज मय हमराह आये व मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम हेतु रविदास मंदिर के सामने चकिया अहरौरा रोड पर बहद ग्राम मुढ़हुआ में संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग करने लगे कि अचानक एक सफेद रंग की अर्टिका कार आगे विना नम्बर के अहरौरा की तरफ से तेज गति से आकर रुकी व हम पुलिस वालों को देखकर पीछे हटने लगी। उक्त वाहन जालक की गतिविधि संदिग्ध लगने के कारण मौजूदा पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन की घेराबन्दी कर रोक लिया गया। उपरोक्त वाहन की डिग्गी से कुल 08 बण्डल अवैध गांजा(कुल वजन 16.203 कि0ग्रा0) बरामद करते हुये 02 अभियुक्तोंको गिरफ्तार किया गया। । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना चकिया पर मु.अ.सं. 158/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगो का एक संगठित गिरोह है। हम लोग बराबर बराबर पैसा लगाकर विशाखापट्टनम आन्ध्रप्रदेश से गांजा खरीदकर अपने अपने घर लाते है तथा जहां से हम लोग गांजा लाते है उसका नाम पता हम लोगो को मालूम नही है वह अपना चेहरा ढककर विशाखापट्टनम के निर्जन स्थान पर गांजा लाकर हम लोगो को देता है जिसे हम लोग अपने यहां लाकर उसके पुडिया बनाकर ऊंचे दामो पर बेचते एवं बेचवाते है और जो फायदा होता है उसको हम लोग आपस मे बराबर बराबर बांट लेते है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1.संतोष कुमार सिंह पुत्र अनिरूद्ध सिंह निवासी ग्राम निवासी कुल्हनामऊ थाना बक्सा जनपद जौनपुर

1.मु.अ.सं. 007/2020 धारा 279/304ए/338/427 भादवि थाना सिकरारा जनपद जौनपुर

2.मु.अ.सं. 158/2024 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. अमित वर्मा पुत्र स्व. रामतेज वर्मा निवासी कौडियावा थाना कूढेभार जिला सुल्तानपुर

1.मु.अ.सं. 111/2023 धारा 63/72 आबकारी अधि. व 420/467/468/471 भादवि थाना

आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर

2.मु.अ.सं. 158/2024 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

बरामदगी विवरण-

1.16.203 कि0ग्रा0(16.387 मय बोरी) नाजायज गांजा

2.एक अदद अर्टीगा वाहन रजि.नं. UP62BT7708

3.एक अदद एंड्रायड मोबाइल रेडमी

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष(कार्यवाहक) गंगाधर मौर्य थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह चौ0प्र0 शिकारगंज थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.हे0का0 दीपचन्द्र गिरि थाना चकिया जनपद चन्दौली

4.हे0का0 जलभरत यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली

5.हे0का0 अनुज यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली

6.का0 रवीन्द्र कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली

7.का0 रिजवान थाना चकिया जनपद चन्दौली

8.का0 प्रदीप कुमार सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 08.09.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना नौगढ़ कृपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना नौगढ़ पर गठित टीम द्वारा वांछित अभियुक्तगण के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी मय टीम द्वारा सैदुपुर के पास से मु0अ0स0 87/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.संजय चौहान पुत्र बेचन चौहान ग्राम मड़रिया थाना चाँद जनपद भभुआ बिहा उम्र 45 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास का विवरण –

1. मु0अ0सं0 06/23 धारा 3/5A/5B/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 IPC
2. मु0अ0स0 87/24 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना नौगढ, चन्दौली

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्म0गण नाम –

1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 अवधेश सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
4. हे0का0 सुबेदार सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
5. का0 सतीश यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
6. का0 कोमल सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

प्रेस नोट -दिनांक 08.09.2024
थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

◆थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व चोरी की 01 स्कूटी बरामद

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी सैयदराजा के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चोरी की 01 स्कूटी के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व की घटना-
दिनांक 21.06.2024 को शास्त्री नगर स्टेशन के पास ओवर ब्रिज के नीचे से स्कूटी गाड़ी चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पर मु.अ.सं. 100/2024 धारा 379 भा.द.वि पंजीकृत है। जिसमें मुखबिर खास की सूचना पर भतीजा मोड़ हाईबे के पास से एक व्यक्ति को पक्ड़ लिया गया तथा पकड़े गये व्यक्ति के निशानदेही व कब्जे से एक प्लेसर स्कूटी गाड़ी संख्या CG16CF3117 चोरी किये गये स्कूटी उपरोक्त को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का विवरण-
विशाल यादव पुत्र गोविन्द यादव निवासी परेवा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-
एक प्लेसर स्कूटी गाड़ी संख्या CG16CF3117

कार्यवाही करने वाली टीम–
1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 रामप्यारे सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
4.हे0का0 रूपनारायण सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
5.का.अजीत मिश्रा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 08.09.2024 को कुल 106 वाहनों का चालान करते हुए 1,30,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 106 वाहनों का चालान करते हुए 1,30,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-07

2 बिना इंश्योरेन्स के वाहन चलाना-06

3. बिना हेलमेट-59

4. नो पार्किंग-15

5. गलत दिशा में वाहन चलाना-14

6. गलत नंबर प्लेट- 02

7. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना - 02

8. अन्य- 01

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 08.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-106

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-1,30,000/- रूपयें।